

कंपनी अधिनियम, 2013 के दंड वषियक प्रावधानों की समीक्षा समिति के सुझाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बेहतर कॉर्पोरेट अनुपालन हेतु कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनवास की अध्यक्षता में गठित समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 के दंड वषियक प्रावधानों की समीक्षा समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी है।

समिति के प्रमुख सुझाव

- इस रिपोर्ट में उन सभी दंड वषियक प्रावधानों का वसितृत वश्लेषण है, जनिहें अपराधों की प्रकृतिके आधार पर उस समय आठ श्रेणियों में बाँट दिया गया था।
- समिति ने सफ़िरशि की है कि उक्त में से छह श्रेणियों के गंभीर अपराधों के लिये वर्तमान कठोर कानून जारी रहना चाहिये, जबकि दो श्रेणियों तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के अंतरगत आने वाले अपराधों का नरिणय आंतरिक प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिये।
- समिति के अनुसार इससे ईज ऑफ डूइंग बज़िनेस और कॉर्पोरेट के बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के दोहरे मकसद को पूरा किया जा सकेगा।
- इससे वशिष अदालतों में दायर मुकदमों की संख्या भी कम होगी, परणामस्वरूप गंभीर अपराधों का तेज़ी से नपिटारा होगा और गंभीर अपराधियों के खलिाफ मामला दर्ज हो सकेगा।

नोट: उल्लेखनीय है कि कॉर्पोरेट धोखेबाजी से जुड़ा अनुच्छेद 447 उन मामलों पर लागू रहेगा, जहाँ धोखेबाजी पाई गई है।

- राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) को न्यायाधिकरण के समक्ष मौजूद शमनीय अपराधों की संख्या में पर्याप्त कटौती के ज़रिये मुक्त करने की सफ़िरशि की गई है।
- 81 शमनीय अपराधों में से 16 को वशिष अदालतों के अधिकार क्षेत्र से हटाकर आंतरिक ई-नरिणय के लिये अपराधों की नई श्रेणियाँ बनाने (ताकाई अधिकृत नरिणय अधिकारी (कंपनियों के रजिस्ट्रार) चूककरता पर दंड लगा सकें) का सुझाव दिया गया है।
- जबकि शेष 65 शमनीय अपराध अपने संभावित दुरुपयोग के कारण वशिष अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगे।
- इसी प्रकार गंभीर कॉर्पोरेट अपराधों से जुड़े सभी अशमनीय अपराधों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने तथा फैसलों का ई-नरिणय एवं ई-प्रकाशन करने के लिये पारदर्शी ऑनलाइन मंच तैयार करने की सफ़िरशि की गई है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में कॉर्पोरेट शासन प्रणाली जैसे कवियवसाय शुरू करने की घोषणा, पंजीकृत कार्यालय का संरक्षण, जमाकर्त्ताओं के हतियों की रक्षा, पंजीकरण और शुल्क प्रबंधन, हतिकारी स्वामित्व की घोषणा और स्वतंत्र नदिशकों की स्वतंत्रता से जुड़ी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को शामिल किया गया है।
- समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों के अनुसार सार्वजनिक जमा के संबंध में वशिष रूप से सार्वजनिक हतियों के दुरुपयोग और नुकसान को रोकने के लिये अधिनियम की धारा 76 के तहत सार्वजनिक जमा की परभाषा से मुक्त लेनदेन के संबंध में वसितृत जानकारी प्रदत्त की जानी चाहिये।
- इसके अतरिकित एक बार जब कंपनी महत्त्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व से संबंधित धारा 90 (7) के तहत प्रतबंध प्राप्त करती है, तो शेयरों के स्वामित्व की अनश्चितता की स्थिति में (यदि सही मालिक इस तरह के प्रतबंधों के एक वर्ष के भीतर स्वामित्व का दावा नहीं करता है) ऐसे शेयर को नविशक शकिषा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना चाहिये।
- NCLT को डी-क्लोग/मुक्त करने के लिये समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 441 के तहत अपराधों के परसिंचरण के लिये क्षेत्रीय नदिशक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का सुझाव दिया है।
- समिति द्वारा सृजन, सुधार और लेनदार के अधिकार से जुड़े दस्तावेजों को भरने के लिये समय-सीमा में भारी कटौती तथा जानकारी नहीं देने की स्थिति में कड़े दंड के प्रावधान सुझाव दिया गया है।